राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1601/2025, 1919/2025 सोहनलाल बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2055/2025, 2056/2025 किशन बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1601/2025, 2056/2025, 1919/2025, 2055/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस चारो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो |

07/05/2026

आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/1/2025 पारित करते हुये तहसीलदार सांगानेर को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये वाद पत्र में अंकित विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 138, 139, 140/438, 142, 519/141, 520/143 कुल किता 6 रकबा 2.180 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरपुरा उर्फ़ लाल्या का बॉस महापुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित की वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज समस्त पक्षकारो को विधिवत रूप से नोटिस भेजकर मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर उभयपक्षों का अलग-अलग लगान कायम कर एवं पृथक-पृथक खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/01/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 1601/2025, 1919/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है एवं अपील संख्या 2056/2025, 2055/2025 इस न्यायलय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ पेश की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस चारो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि चारो अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से चारो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोहनलाल बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1601/2025, 1919/2025 2055/2025, 2056/2025 किशन बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपील संख्या 1601/2025 व 1919/2025 प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ पेश हुई है, ऐसेमें कानूनन सर्वप्रथम धारा 96 जाप्ता दीवानी का निस्तारण किया जाना आवश्यक समझा जाता है | इस सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17/10/2024 को विचाराधीन वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही दिनांक 08/05/2018 को प्रतिवादीया संख्या 1 कमली देवी का स्वर्गवास हो चुका था एवं अपीलार्थी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान है | ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | जहाँ तक मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 का प्रश्न है तो उसमे अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते है | ऐसी स्थिति में उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है | गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों का मनन करने पर यह जाहिर होता है कि प्रतिवादीयां संख्या 1 कमला का वाद प्रस्तुती से पूर्व ही ईन्तकाल हो गया था, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में पारित किये गये प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये मृत्तक व्यक्ति/पक्षकार के विरुद्ध पारित होना सिद्ध हो जाती है एवं कानूनन मृत्त व्यक्ति/पक्षकार के विरुद्ध पारित होना सिद्ध हो जाती है एवं कानूनन मृत्त व्यक्ति/पक्षकार के विरुद्ध पारित निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से शून्य एवं विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय सिद्ध हो जाती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये क्रमश: दिनांक 29/01/2025 व 16/05/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत्तक पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उन्ह सुनवाई का अवसर देते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्रीये पुन: पारित करे | तदनुसार अपीले क्रमश: 1601/2025, 2056/2025, 1919/2025, 2055/2025 निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |